[श्री भोगेन्द्र झा]

पति अखबार वही छापेंगे जो उनके हित में है ।.......

सभापति : आप अपना भाषण अगले सत्र में जारी रखें जब भी विचार के लिये समय आये ।

माननीय राम विलास पासवान जी आप आधे घंटे की चर्चा प्रारंभ कीजिये ।

17.30 hrs

HALF AN HOUR DISCUSSION

SUGARCANE ARREARS

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, आज की आधे घंटे की चर्चा ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर है । जो किसानों से संबंधित है । राव साहब स्वयं भी अच्छे किसान हैं । इन्होंने जो जवाब अतारांकित प्रश्न सं० 112 का 4 अक्तूबर को दिया है, यह चर्चा उससे संबंधित है । इस प्रश्न में सरकार से पूछा गया था कि—

उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्र में आने वाले गन्ने की पेराई के मौसम का गन्ने की पेराई का कार्य को-ओपरेटिव तथा गैर-सरकारी मिलों में कब तक शुरू हो जायगा ?

इसका उत्तर मंत्री महोदय ने बड़े विस्तार से दिया है ।

दूसरा इनसे पूछा गया था कि उक्त दोनों क्षेत्रों में पृथक-पृथक प्रत्येक यूनिट पर 15-9-82 को गन्ना उत्पादकों की किस किस वर्ष की कितनी धनराशि बकाया है ? इसके संबंध में भी मंत्री महोदय ने जवाब दिया है । इन्होंने बतलाया है कि 1980–81 और 1981–82 में विभिन्न राज्यों में, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्य हैं जहां काफी संख्या में बकाया है ।

तीसरा प्रश्न इनसे पूछा गया था कि गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अनुच्छेद 3(क) के अन्तर्गत प्रत्येक मिल को 15 सितम्बर, 1982 को ब्याज की कितनी धनराशि देनी है ?

इसके उत्तर में इन्होने कहा कि केन्द्रीय सरकार के पास अपेक्षित सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है और उसे राज्य सरकार से प्राप्त करना होगा । मैं समझता हूं कि अब जब मंत्री महोदय जवाब देंगे तो निश्चित रूप से राज्य सरकार से इनके पास जवाब आ गया होगा ।

लास्ट में इनसे पूछा गया था कि क्या लोगों के प्रतिनिधियों और संसद सदस्यों ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है और यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इसके जवाब में मंत्री जी ने कहा है कि संसद सदस्यों द्वारा गन्ने के मूल्य के बकाया और ब्याज के भुगतान के सबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है । संबंधित राज्य सरकारों के साथ यह मामला उठाया गया है । इसके अलावा उद्योग को अतिरिक्त बैंक उधार भी उपलब्ध किया गया है और रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से गन्ने के मूल्य के भुगतान पर निगरानी रखने के लिये कहा है ।

मुख्य प्रश्न यह है कि जो गन्ने के उत्पादक हैं, किसान हैं, जिनकी हम लोग और सरकार

बहुत दुहाई देते हैं, उसकी समस्या और बकाया राशि के संबंध में है ।

मैं मंत्री महोदय की डिबेट को देख रहा था, इन्होंने दूसरे सदन में नवम्बर, 1980 में जवाब दिया था और कहा था कि 1980–81 तक उनके पास जो टोटल बकाया है किसान का वह नाममात्र का रह गया था ।

एक प्रश्न के जवाब में 4 अक्तूबर को मंत्री महोदय ने कहा है जो कि उससे भिन्न है । इस प्रश्न में पूछा गया था कि 15–9–82 को गन्ना उत्पादकों की किस किस वर्ष की कितनी धनराशि बकाया है ? इसके उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के को-आपरेटिव और सरकारी क्षेत्र में कुल मिलाकर 1111 लाख बकाया है । जिसमें 1930-81 और 1981–82 दोनों का शामिल है । लेकिन 19–7–82 को अतारांकित प्र० सं० 1707 में लोक सभा में कहा है कि 31–5–82 तक किसानों का बकाया है 20,149.65 लाख यानी 200 करोड़ से अधिक है । इसी प्रश्न के एक भाग के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि 1980–81 में किसानों का मात्र 685.10 लाख रुपया बकाया है । मतलब यह है कि 1980–81 में किसानों का कुल बकाया 6 करोड़ था, वह वर्ष 1981–82 में बढ़कर के 200 करोड़ हो जाता है, यह कितना गम्भीर विषय है । मंत्री महोदय ने स्वयं अपने उत्तर में इसे माना है । केवल उत्तर प्रदेश में किसानों का 10,210 लाख रूपया बकाया है, बिहार में 2,223.76 लाख रुपया बकाया है, हरियाणा में 589.86 लाख रुपया बकाया है, पंजाब में 591.10 लाख रुपया बकाया है, महाराष्ट्र में 2,637.30 लाख रूपया बकाया है, गुजरात में 561.79 लाख रुपया बकाया रहता है, कर्नाटक में 699.35 लाख रुपया बकाया रहता है और इसी तरह तामिलनाडु में 1,299.89 लाख रुपया बकाया रहता है । छोटे से प्रदेश नागालैंड में 42.95 लाख रुपया बकाया है । और भी छोटे-छोटे प्रदेशों में राशि बकाया है । एक दूसरे प्रश्न के अनुसार यदि हम दो-तीन राज्यों को ही लें लें, जहां पर किसानों का काफी पैसा बकाया है, जिसमें उत्तर प्रदेश आता है, जहां पर 272.75 लाख रुपया बकाया है, बिहार में 223.76 लाख रुपया बकाया है । वहीं यदि आप 1980–81 के आंकड़े देखें तो वे 63.29 लाख हैं ।

इसी प्रकार इन्होंने 4 अक्तूबर को 112 प्रश्न संख्या के उत्तर में यद्यपि काफी लम्बे चौड़े आंकड़े दिए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उन फीगर्स में और इन फगर्स में काफी अन्तर है । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय अपने उत्तर में स्थिति स्पष्ट करें कि 4 अक्तूबर वाले आंकड़ों और इस समय के आंकड़ों में समानता क्यों नहीं है । वास्तविकता क्या है, वे आपस में टैली क्यों नहीं कर रहे हैं । बिहार में सहकारी क्षेत्र की ओर बकाया राशि के आंकड़े इन्होंने 1111.6 लाख रुपये बताये हैं जब कि गैर-सरकारी बकाया का योग 4398.23 लाख कहा है । इसमें वर्ष 1980–81 और 1981–82 दोनों के आंकड़े हैं । यदि हम 1981–82 के आंकड़ों को देखें तो इन्होंने गैर-सरकारी क्षेत्र की मिलों की तरफ 4049.63 लाख रुपया तथा सहकारी मिलों की तरफ 1100.34 लाख रुपया बकाया की बात कही है ।

[श्री राम विलास पासवान]

यह उत्तर प्रदेश में किसानों के बकाये का ब्यौरा इन्होंने दिया है ।

बिहार के संबंध में, यद्यपि इन्होंने अलग-अलग बतलाया है । बिहार में सहकारी क्षेत्र में कोई बकाया नहीं है, लेकिन गैर-सरकारी क्षेत्र में मिलों की तरफ किसान के बकाये की राशि इन्होंने 1980–81 वर्ष में 1379.90 लाख रुपये बताई है और वर्ष 1981–82 में 1412.77 लाख रुपया । मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि 1980 में जब आप सरकार में आये थे तो आपने किसानों को यह कह कर आश्वस्त किया था कि अब तक उनके साथ जो लूट होती रही है, उसको बन्द किया जाएगा और आप किसान के हित में खून देने को भी तैयार हैं । आज आप ने जिस तरह के आंकड़े सदन के सामने रखे हैं, क्या उससे आपके उस आश्वासन की पुष्टि होती है। आपने ही नहीं, हमारी सुप्रीम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री महोदया ने भी किसान रैली में यह बात कही थी कि हम उनके हित में खून देने तक के लिये तैयार रहेंगे । आज मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आपको सरकार में आये दो साल गुजर गये और इन दो सालों में किसानों की पिछली बकाया राशि में उत्तरोत्तर वृद्धि क्यों होती जा रही है । पहले वह बकाया की राशि 685 लाख थी, इस वर्ष वह बढ़ कर 200 करोड़ रुपये कैसे हो गई । इसके लिये कौन जिम्मेदार है । क्या यह किसानों को खून देने की बातें आप कर रहे हैं या किसानों से खून लेने की बात की जा रही है ।

सभापति महोदय, यदि आप इस में देखेंगे तो सब क्षेत्रों में कुछ न कुछ राशि किसानों की बकाया है, कोआपरेटिव क्षेत्र में भी और दूसरे क्षेत्र में भी । उसमें हर वर्ष बढ़ोत्तरी होती चली जा रही है । इससे आप इस विषय की गम्भीरता को समझ सकते हैं । किसान को कितनी लूट हो रही है । आज जब चारों तरफ अकाल की काली छाया पड़ी हुई है, आज उसी परेशान किसान का 200 करोड़ रुपया सहकारी मिलों की तरफ बकाया है । यह सरकार की नियत को स्पष्ट करता है कि सरकार उनके प्रति कितना चिंतित है । मैं हमेशा कहता हूं कि शूगर लाबी, चीनी मिलों की लाबी, सरकार को कन्ट्रोल करती है, जिसके कारण किसान बेचारा मारा जा रहा है । 19 जुलाई, 1982 को प्रश्न संख्या 1707 के उत्तर में सरकार की ओर से कहा गया था : "कुछेक राज्य सरकारों ने रिबेट भी दिया है और चीनी मिलों द्वारा खरीदे गये गन्ने पर कर/उप-कर वापस किया है । कानून में गन्ने की खरीदारी करने के 14 दिनों के बाद के बकायों पर 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज देने की व्यवस्था है ।"

मैं जानना चाहता हूं कि यह जो 200 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है, इस पर कितना ब्याज है, कितने ब्याज की वसूली हुई है, कितनों पर मुकदमा चल रहा है और कितनों के खिलाफ शो काज़ नोटिस जारी किया गया है ।

मेरे जैसा आदमी यह नहीं कह सकता कि सिर्फ किसान को ही राहत दी जाये, भले ही उपभोक्ता पर उसका असर पड़े या नहीं । मैं यह तो नहीं कहता कि मिल-मालिक आपको चुनाव फण्ड में पैसा दे रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि सरकार आज मिल-मालिकों को जितना प्रोत्साहन दे रही है, उसकी तुलना

में यदि वह किसानों के प्रति थोड़ा सा न्याय करे, तो उनका बहुत बड़ा भला हो सकता है। जो लोग गन्ना क्षेत्र के हैं, उनको मालूम है कि किसान को पग-पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब किसान गन्ना लेकर जाता है, तो उससे रोड सेस लिया जाता है, लेकिन आज उन सड़कों की क्या दशा है? इसके अलावा कांटा खराब होता है और गन्ना कम तोला जाता है।

इस सरकार पर मेरा चार्ज है कि मिल-मालिकों के यहां किसान का बकाया 6 करोड़ से बढ़ कर 200 करोड़ रुपये हो गया है, इसमें सरकार और मिल-मालिकों की सांठ-गांठ है, सरकार मिल-मालिकों के पाकेट में चली गई है और जैसे वे घुमाते हैं, वैसे वह घूम रही है।

राव वीरेन्द्र सिंह किसान घर से आते हैं। जब वह खेत और खलिहान के मंत्री बने, तो लोगों को उम्मीद हुई कि अब किसानों को राहत मिलेगी। लेकिन उनके जमाने में किसान की जो लूट हुई है, उसका नमूना है कि किसान का बकाया बढ़ कर 200 करोड़ रुपये हो गया है। अगर इसके दोषी सौ पचास मिल-मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है और उन्हें जेल में बन्द किया जाता है, तो हमें संतुष्टि हो जायेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो मेरा चार्ज है कि यह सरकार और मिल-मालिकों की मिली कुश्ती है और बड़े-बड़े मिल-मालिक इस सरकार को चला रहे हैं। वास्तव में जब तक चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा, तब तक यह घपलेबाजी चलती रहेगी।

मैं दो-तीन सवाल पूछना चाहता हूं। इन एरियर्ज के कारण क्या हैं और सरकार कब तक इन्हें वसूल करेगी? कब तक आप वसूली करेंगे, आपकी शुगर पालिसी क्या है और क्या आप इस सारे घपलेबाजी को देखते हुये राष्ट्रीयकरण करने पर विचार कर रहे हैं या नहीं?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री (राव विरेन्द्र सिंह) : माननीय सभापति जी, जो पासवान जी ने सवाल उठाया है, ऐसा मालूम होता कि इनके दिमाग में कुछ शक–शकूक ऐसे हैं जो मैं दूर करने में बिल्कुल असमर्थ रहा हूं। पहले जब सवाल आया था तब मैंने बहुत विस्तार के साथ सारी जानकारी दी थी। उस वक्त जिस तरह की मिलों की हालत थी, जितना–जितना बकाया था हरएक पर, वह बता दिया था। लेकिन पोजीशन बदलती रहती है। जब गन्ने की पेराई होती है तो हम कोशिश करते हैं कि मिलें साथ-साथ भुगतान करें। आपको यह भी मालूम है कि शुगर कन्ट्रोल आर्डर की तहत कायदा बना है कि 14 दिन के अन्दर मिल भुगतान कर दे। उसके बाद अगर कोई भुगतान बाकी रहता है तो उसके ऊपर सूद दे। आपको ज्यादा आपत्ति इस चीज से हुई है कि हम आपको नहीं बता सके कि किस-किस मिल ने कायदे के मुताबिक कितना-कितना सूद दिया है। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया था यह हमारे बस की बात नहीं है। जो जानकारी मैंने दी थी वह इस बात के बाद दी थी जब हम स्टेट गवर्नमेंटस से पूरा ब्यौरा हासिल करने में नाकामयाब रहे थे। हमारा जो कायदा है इसका इंप्लीमेन्टेशन स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। हम चाहते हैं वे एन्फार्समेंट करें लेकिन स्टेट गवर्नमेन्ट्स को बात भी हमें एक तरह से माननी पड़ती है कि पहले भुगतान कराने पर जोर दिया जाए या पहले मिलों पर इस बात के लिए सख्ती की जाए कि जो बकाया रह गया है उसके भुगतान के साथ-साथ

[राव वीरेन्द्र सिंह]

सूद भी अदा करें । वे सोचते हैं सूद के चक्कर में मिलों को परेशान न करें । इसीलिए शायद इस कायदे का ठीक से एन्फार्समेन्ट् नहीं हो रहा है ।

श्री राम विलास पासवान : सूद तो कभी किसी मिल में दिया ही नहीं गया ।

राव वीरेन्द्र सिंह : मैं आपकी बात मानने ने लिए मजबूर हूं । जितनी बार आपने पूछा उतनी ही बार हमने यह जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की है । जब आपका सवाल आया तब 2 अगस्त को हमने यू पी गवर्नमेंन्ट को लिखा कि वे भले लोग हमें बतायें कि एरियर्स पर कितनी मिलों से उन्होंने कितना सूद दिलाया है । 6 अगस्त को उनका टेलेक्स आया कि हम यह जाकारी इकट्ठा कर सकते हैं इसमें काफी देर लगेगी । टेलीफोन पर भी उनसे बातें हुई लेकिन अगर स्टेट से जानकारी नहीं आई तो हम क्या बतायें ? मैं यह बात मानने के लिए मजबूर हूं कि चूंकि स्टेट गवर्नमेन्ट्स हमें जानकारी नहीं दे रही है, इसलिए इसका मतलब साफ तौर पर यह निकलता है, जैसा कि आप कहते हैं, कि सूद नहीं दिलाया जा रहा है वरना यह जानकारी आ जाती । पहले शायद किसी जगह पर कर्नाटक में किसी मिल से सूद मिला था किसानों को लेकिन आम तौर पर इसपर अमल नहीं हो रहा है और यह बात सच मालूम होती है हालांकि विश्वास के साथ मैं यह बात नहीं कह सकता हूं, जब तक स्टेट गवर्नमेन्ट की रिपोर्ट न आजाए मैं यकीन के साथ नहीं कह कह सकता वरना आम गलत-बयानी का आरोप लगाने लगेंगे । लेकिन मुझे ऐसा लगता है हालात से कि इस बात में कुछ सच्चाई है कि स्टेट गवर्नमेन्टस सूद के मामले पर जोर नहीं दे रही है । अशफाक हुसैन साहब (एम.पी०) ने भी चिट्ठी लिखी थी उसके ऊपर भी हमने स्टेट गवर्नमेन्ट को लिखा था कि वे जानकारी इकट्ठी करके सीधे एम०पी० के पास भेज दें पर शायद वह जानकारी भी उनके पास नहीं पहुंची है ।

अब यह कायदे-कानून सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के है और उनका एन्फोर्समेन्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास है । आप बतलायें किस तरह का कोई सिस्टम हम बना सकते हैं । जिससे हम हर एक मिल की जांच-पड़ताल करें और भुगतान भी करा दें और सूद भी दिला दें । भारत सरकार के आफ़िसर मिल-मिल में बैठकर इस बात का हिसाब-किताब रखें ।

श्री राम विलास पासवान : राष्ट्रीयकरण ।

राव वीरेन्द्र सिंह : राष्ट्रीयकरण से यह बात हल नहीं होगी ।

श्री राम विलास पासवान : कैसे ?

राव वीरेन्द्र सिंह : इतना बड़ा मामला । हर चीज के लिए आप राष्ट्रीयकरण का नाम लेते हैं ।

श्री डी०पी० यादव : हम लोगों का राष्ट्रीयकरण कब होगा ।

राव वीरेन्द्र सिंह: आपका राष्ट्रीयकरण हुआ है ।

सभापति महोदय : तैयार बैठे हैं, राष्ट्रीयकरण कराने के लिए ।

राव वीरेन्द्र सिंह : एक पालिसी की बात है । सारी इन्डस्ट्रीज का राष्ट्रीयकरण करके क्या हम इसको

चला सकते हैं, सरकार के जरिए से। यह भी सोचने की बात है। मेरी दृष्टि में यह इतनी बड़ी जिम्मेदारी भारत सरकार नहीं संभाल सकती। सारी मिलों को, कारखानों को, सिर्फ शगर मिल की ही बात नहीं है। जहां तक हम दबाव डाल कर सकते हैं, वह हमने किया है। मिले वक्त पर न चलें, वक्त से पहले बन्द हो जायें, भुगतान न हो, उस मिल को हम टम्पोरेरीली तौर पर टैक-ग्रोवर कर लेते हैं। ग्रापको यह भी मालूम है कि इसकी ग्रवधि तीन साल की थी, पीछ ग्रापने बढ़ाकर इसको छः साल कर दिया है। सिर्फ़ इसीलिए कि सिक मिल्स लेकर हम ग्रपने सिर पर मुसीबत नहीं लेना चाहते हैं। उस पर पैसा खर्च करके, उनके कारखानों को ठीक करके, भुगतान करके, ग्रौर भारत सरकार के खजाने से हम पैसा देते रहें। हमारी नीति इस बारे में साफ है। यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी सिक मिल को लेना चाहती है, उसका राष्ट्रीयकरण कर लें, हम उसमें मदद कर सकते हैं। भारत सरकार इस तरह की जिम्मदारी में ग्रब कुछ हिचकिचाहट महसूस करने लगी है। मिलों को हम ले ल, राष्ट्रीयकरण करके, हम उसको यहां से बैठकर चलायें, एक एक मिल के लिए भारत सरकार को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। सारे हिन्दुस्तान में सवा तीन सौ, साढ़े तीन सौ मिल हैं ग्रौर ग्रब नए लाइसेंस भी दिए गए हैं। उनकी मिलों को भी लगवाय, उनकी देखभाल करें, उनको चलायें, उनको मैनेज कर—-ग्रगर भारत सरकार का यही धन्धा है, तो भारत सरकार को ग्रौर बहुत से काम करने हैं। यह बात ग्राप मानते हैं कि राष्ट्रीयकरण कोई इस बात का हल नहीं है। मैंने सूद के बारे में ग्रापको ग्रर्ज किया कि इस बारे में हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन हम इसमें नाकामयाब रहे। जसा मैंने पहल ग्रर्ज किया कि सूद के मामल में स्टट गवर्नमन्ट कोई जानकारी नहीं देती हैं, इस लिए शायद सूद कहीं नहीं मिल रहा है।

एरियर्स मिलवाइज मैंने ग्रापको बता दिए हैं। ग्राज की पोजीशन 83 करोड़ 33 लाख रु० है, सन् 1980-81 के साल की, शुगर ईग्रर हम मानते हैं। यह सारे हिन्दुस्तान का कुल बकाया है। इसके मुकाबल में यदि ग्राप पिछले साल का देख तो कुल 12 करोड़ 60 हज़ार रु० बकाया था। यदि ग्राप 1979-80 का देखें तो 7 करोड़ रु० बकाया था। 1978-79 में 23 करोड़ 75 लाख था।

15.54 hrs.

[Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*].

श्री राम विलास पासवान : उधर छोड़ दीजिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं ग्रापको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बात कुछ बैठ जाए। एक बात ग्राप ध्यान दें कि शुगर का प्रोडक्शन कितना है ग्रौर कुल प्रोडक्शन कितना करना था। गन्ना कितना मिलों में पेला गया। इसका सही तरीका यह होगा कि इस साल चीनी की जो पैदावार है, उसके मुकाबल में जिस साल सबसे ज्यादा पैदावार हुई हो, उससे हम मुकाबला करें। मैं ग्रापका ध्यान 1977-78 के साल की ग्रोर दिलाना चाहता हूं। 1977-78 के साल में 58 करोड़, 87 लाख रुपया बकाया था ग्रौर साल के ग्राखिर में प्रोडक्शन 64.8 लाख

[राव वीरेन्द्र सिंह]

टन थी । इस साल प्रोडक्शन 83.33 लाख टन की है । इस से आप अन्दाजा लगा लीजिए कि 64 लाख टन प्रोडक्शन पर 58 करोड़ 87 लाख रुपया बकाया था और 84 लाख टन की प्रोडक्शन पर इस साल 83 करोड़ 33 लाख रुपया बकाया है । इस से इस एरियर्स की परसैन्टज 4.9 परसेंट आती है जबकि 77-78 में 64 लाख टन की प्रोडक्शन पर 58 करोड़ 87 लाख रुपया बकाया था तो उस साल एरियर्स की परसन्टेज 7.4 परसन्ट थी । आप अन्दाजा लगा लीजिए कि प्रोडक्शन ड्योढ़ी हो गयी है और एरियर्स 7.4 परसेन्ट के मुकाबले में 4.9 परसेन्ट पर आ गये हैं । क्या इसका श्रेय सरकार को नहीं जाता है ?

इसी तरीके से पिछले साल का जो आपको जवाब दिया था करीब करीब वही एरियर्स हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं कही थी । पिछले साल 51.5 लाख टन चीनी पैदा हुई थी जिसका 12 करोड़ 60 लाख रुपया बकाया था । इस तरह से बकाया के एरियर्स 1.1 परसेंट रह गये थे । इसका श्रेय भी हमारी सरकार को ही जाता है । 1.1 परसेंट एरियर्स का रह जाना कोई मामूली बात नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : आप किस को पैसा दिलवाएं । [illegible]

राव विरेन्द्र सिंह : हम किसान को भी पैसा दिलवा रहे हैं । बहुत सी मिलें एसी हैं जिनमें एरियर्स काफी है । उन मिलों में 17 मिलें ऐसीं हैं जिनमें एक एक करोड़ से ज्यादा बाकी है इन 17 मिलों में से 11 मिले यू०पी० में हैं इन 11 मिलों में करीब करीब 20-22 करोड़ रुपया बकाया है । एक-एक मिल पर आप औसतन एक करोड़ या उससे ज्यादा बकाया समझ कर चलें तो इन 11 मिलों में ही 20-22 करोड़ रुपया बकाया निकलता है ।

इसके अलावा और भी मिलें हैं । (व्यवधान) बिहार में तीन मिलें हैं उनमें तीन करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया है

एक माननीय सदस्य : आप उनके नाम बताइये ।

राव विरेन्द्र सिंह : बिहांर में एक तो वगहा में मिल है जोकि प्राइवेट मिल है। एक लोरिया में है । यह भी प्राइवेट मिल है। एक चम्पटिया है ।

श्री राम विलास पासवान : इन्हीं मिलों ने कर्पूरी ठाकुर की सरकार को गिराया था । (व्यवधान)

राव विरेन्द्र सिंह : ये भी प्राइवेट हैं । वगाहा में 1.32 करोड़ बकाया है, लोरिया में 1.60 करोड़ बकाया है और चम्पटिया में एक करोड़ 8 लाख 48 हजार बकाया है । इनके ऊपर हम बराबर जोर डाल रहे हैं। राज्य सरकारों से भी कह रहे हैं कि इनके एरियर्स कम करायें और भी बहुत से प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य : उत्तर प्रदेश के बारे में भी बता दीजिये ।

श्री राव विरेन्द्र सिंह : उत्तर प्रदेश के बारे में बता देता हैं, लेकिन इस शर्त पर कि अब और कोई नहीं

पूछेगा । उत्तर प्रदेश में 11 मिलें हैं। बागपत, हरदुआगंज, बदायूं, तिलहर, देवबन्ध, सहारनपुर, बरेली, मोहली । इनमें बहुत सी मिलें ऐसी हैं जो यू०पी० सरकार ने ले ली हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : गोरखपुर के बारे में ।

श्री राव वीरेन्द्र सिंह : सरदार नगर, खिसवा बाजार, गोरखपुर की एक करोड़ से ज्यादा वाले में नहीं है । (व्यवधान)

हमारी पूरी कोशिश है कि एरियर्स कम किये जायें। 1980–81 तथा उसके पहले के सालों तक का सारा मिलाकर 6 करोड़ 58 लाख 90 हजार रुपया बाकी है । यह सरकार की खास मेहनत का ही नतीजा है । गन्ने वालों की तरफ जो हमारा खास ध्यान है, उसका फल है । 83 करोड़ के लगभग जो इस साल का बाकी है, उसको कम करने की भी हम कोशिश कर रहे हैं । रिजर्व बैंक से भी कह रहे हैं कि वह मार्जिन मनी जो कि अभी 25 प्रतिशत रखी जाती है, उसको कम करके 10–15 प्रतिशत कर दे, जिससे मिलें शुगर रखकर अपना सारा एरियर्स साफ कर सकती हैं । बफर स्टाक भी 5 लाख टन बनाने की बात कर ली है, उससे मिलों को करीब 50 करोड़ रुपया मिल जायेगा । शुगर रिलीज भी बढ़ाया है, खपत भी बढ़ रही है । उपभोक्ता ज्यादा खा रहे हैं, क्योंकि भाव नीचे आ गया है, इससे भी मिलों को पैसा जल्दी मिल सकता है। तो ऐसी परेशानी की बात नहीं है ।

श्री रामविलास पासवान : कितने लोगों पर मुकदमें चलाए गए, शोकाज नोटिस दिये गये ?

श्री राव वीरेन्द्र सिंह : राज्य सरकार सब चीजों पर ध्यान रखती हैं। राज्य सरकारें एक्शन लेती हैं और उसी का नतीजा है कि इतनी जल्दी एरियर्स साफ हो रहे हैं ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मेरा यह प्रयास होगा कि मेरी जुबान से प्रधानमंत्री शब्द न निकल जाये, नहीं तो आप कहेंगे कि रिकार्ड में नहीं जायेगा । मैं प्रशंसा भी करूं तब भी आप रिकार्ड में नहीं जाने देंगे । इस लिये मुझे संभलकर बोलना होगा ।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दो अरब रुपये से ज्यादा किसानों का मिलों पर बकाया है । अभी तक यह सरकार यह पैसा किसानों को नहीं दिला पा रही है।

श्री राव वीरेन्द्र सिंह : दो अरब कहां से आ गया, मेरा कहना सब बेकार गया ।

श्री हरिकेश बहादुर : माननीय मंत्री जी ने जितनी बात बताई है, उस बात में अभी तक संदेह है। इसकी वास्तविकता क्या है क्योंकि आंकड़े कुछ और ही दये जाते हैं । किसानों को पैसा नहीं मिलता है साथ ही मजदूरों का भी पैसा बाकी है । अगर किसानों और मजदूरों का पैसा सब मिला लें तो यह राशि बहुत अधिक हो जाती है । घुघली मिल के बारे में कहना चाहता हूं, जिसका रिकार्ड आपके पास नहीं है ।

श्री राव वीरेन्द्र सिंह : रिकार्ड सब हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : घुघली मिल

[श्री हरिकेश बहादुर]

किसानों और मजदूरों, दोनों का पैसा बकाया है। अभी एक विधायक वहां आमरण अनशन कर रहे थे कि यह पैसा जल्दी दिलाया जाय। लेकिन किसी तरीके से हमने उन लोगों से कहा कि आमरण अनशन करने से कोई लाभ नहीं है क्योंकि सरकार चाहती है कि विपक्ष के लोग मरें और आप यह अनशन बन्द कीजिए, हम संसद में इस बात को रखेंगे। इस मिल के बारे में मुझे विशेष रूप से कहना है कि किसानों और मजदूरों के पैसे दिलवाने के लिये आप उचित कदम उठाएं।

जहां तक मिलों का सवाल है, उनका आधुनिकीकरण नहीं हो रहा है। जब तक यह नहीं होता है तब तक इन मिलों की जो कार्यक्षमता है, वह नहीं बढ़ाई जा सकती। जो मिल मालिकों के मिल हैं उनका वह आधुनिकीकरण नहीं करना चाहते हैं और सरकारी मिल की भी स्थिति वैसी ही चलती है। वैसे बैंक से पैसा लेकर मिलों ने इस बात का प्रयास किया है कि वो किसानों का भी पैसा दें और साथ ही आधुनिकीकरण करें अब यह पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं है, बकाया दिन प्रति दिन बढ़ता चला जा रहा है। हालत यह है कि जितनी भी चीनी मिलें हैं, उनके पास बैंक का पैसा पहले से ही है और अधिकांश की साख गिरती जा रही है इस लिये बैंक उन्हें पैसा देने वाला नहीं है। अगले सीजन में क्या स्थिति होगी, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। मैं चाहूंगा माननीय मंत्री से कि वे इस बारे में प्रकाश डालें।

चीनी मिलों के गोदाम का जहां तक सवाल हैं, वहां आज भी चीनी भरी हुई है, अगले सीजन में चीनी आयगी तो वह कहा रखी जायगी, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार ने कितनी सफलता हासिल की है और क्या कदम उठाये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि मिलों के आधुनिकीकरण के लिये और साथ ही किसानों और मजदूरों का बकाया पैसा देने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है और उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से कितना पैसा इस काम के लिये मांगा है।

किसानों को जब सूद के साथ उनका पैसा देना चाहिये तो सूद क्यों नहीं दिया जाता। यह केवल कहने से समाप्त नहीं हो जाता। साफ बात यह जानना चाहता हूं कि यह सूद दिया जायगा या नहीं किया जायेगा। कभी यह सूद दिया जाता है और कभी नहीं दिया जाता है, इससे किसानों को भारी क्षति उठानी पड़ती है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार के हाथ में इसका इम्प्लीमेंटेशन है तो केन्द्र सरकार उसको कैसे कर सकती है। मेरा सुझाव है कि अगर राज्य सरकारें आपके द्वारा दिये गये निर्देश का पालन नहीं करती, सुझाव और सलाह का पालन नहीं करती और उन नियमों को भंग करती है जिनके आधार पर उन्हें काम करना चाहिये तो ऐसी सरकारों को आप भंग करिये और अगर केन्द्र सरकार भी ऐसा नहीं कर पायगी तो इस को जनता भंग करेगी। और वह समय नजदीक आने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि खाद के साथ किसानों का पैसा दिया जाय और इसको दिलाने के लिये केन्द्र सरकार क्या कदम उठायगी, या जो राज्य सरकारें सूद के साथ किसानों का पैसा नहीं दिलाती हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री जगन्नाथ पाटिल (ठाणे) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने माननीय राम विलास

जी ने जो चर्चा उठायी है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं बातें दोहराना नहीं चाहता। देश के जिन राज्यों में चीनी मिलें हैं उन सभी पर किसानों का गन्ने का पैसा बाकी है। इससे महाराष्ट्र राज्य भी नहीं बचा है। महाराष्ट्र में कुल 79 चीनी मिलें हैं जिनमें से 68 चीनी मिलें कोआपरेटिव सैक्टर में चल रही है और इन 68 चीनी मिलों में से 30 मिलें ऐसी हैं जिन्होंने पिछले दो साल से किसानों का लगभग 711 लाख रु० आज तक नहीं दिया है। 11 प्राइवेट मिलें हैं चीनी की उनमें से 6 ऐसी हैं जिन्होंने किसानों के 229 लाख रु० अभी तक नहीं दिये हैं। जब किसान सरकार से या नेशनेलाइज्ड बैंक से पैसा लेते हैं तो उनको 15, 16 परसेंट ब्याज देना पड़ता है। और जब किसान का इतना पैसा दो, ढाई साल से बकाया है, उस पर ब्याज मिलना तो दूर, रहा मूल पैसा भी मिलने में देरी होती है। जैसा माननीय पासवान जी ने कहा रास्ते का टोल और सैस किसानों को देना पड़ता है। जहां नाप तोल होती है वहां भी किसान को कटौती देनी पड़ती है। हर स्थान पर किसान को ही नुक्सान उठाना पड़ता है। खास कर महाराष्ट्र में आज जितनी कोआपरेटिव चीनी मिलें हैं या प्राइवेट मिल्स हैं यह तो नुकसान में नहीं जातीं क्योंकि वहां के जो 6 महीने पहले मुख्य मंत्री थे श्री अन्तुले उन्होंने जो ट्रस्टस बनाये उनमें इन सब चीनी मिलों ने लाखों रुपया दिया है। और अब किसान मांग रहे हैं उनके हटने के बाद कि हमने जो ट्रस्ट को पैसा दिया है उसको हमें वापस दे दो। जिस चीनी मिल को ट्रस्ट को देने के लिये लाखों रुपये जुटते हैं वह किसानों का पैसा क्यों नहीं देती?

सरकार ड्रामा कैसे करती है? देश में चीनी का ज्यादा उत्पादन होने के बाद भी बाहर से चीनी मंगाते हैं और यहां ऐसा वातावरण तैयार करते हैं कि यहां चीनी ज्यादा पैदा नहीं होती है, आपके लिये बाहर से मंगानी पड़ती है। यहां चीनी पैदा होने के कारण और विदेश से चीनी लाने के कारण अपने देश में जो चीनी पैदा होती है उसके भाव नीचे आते हैं और इसका नुक्सान किसानों को होता है। मैं कहना चाहता हूं कि जिन किसानों के पैसे चीनी मिलों की ओर से देने हैं और जिनकी चीनी सरकार अपने पास में लेती है, लाखों टन चीनी लेती हैं, उसमें से आधे पैसे डायरेक्ट किसानों को सरकार दे दे और हमारे महाराष्ट्र में जो प्राइवेट 6 चीनी मिलें हैं उनकी ओर 299 लाख रु० किसानों का बाकी है।

उनका भी राष्ट्रीयकरण सरकार करना नहीं चाहती है। जैसे अन्य उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, वह सब नुक्सान में चले जाते हैं, सरकार ने जिन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया है, उनको प्राफिट में चला नहीं सकती, यह सरकार ने सिद्ध किया है। मंत्री महोदय ने डर के मारे कहा है कि कहां तक सब उद्योगों का हम राष्ट्रीयकरण करेंगे?

अगर राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे तो प्राइवेट चीनी मिलें अच्छे ढंग सेकैसे चलेंगी, इसके बारे में भी मंत्री महोदय कुछ कोशिश करेंगे, इतनी मेरी उनसे विनती है।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस जिले का हूं जिसमें उत्तर प्रदेश के दो कारखाने हैं जहां सबसे ज्यादा पैसा बकाया है, हरदुआगंज और बदायूं। बकाया पैसे का जो सूद किसान को मिलना है, क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने को तैयार है कि किसान को जो लगान देना है, वह उसमें एडजस्ट हो जाये? किसान को जो पैसा सरकारी संस्थाओं को कर्ज का देना है वह भी उस सूद में एडजस्ट

[श्री जयपाल सिंह कश्यप]

हो जाये जो इन कारखानों से उनके बकाया का सूद उन्हें मिलना है ? क्योंकि किसान इस समय उस पैसे को देने को स्थिति में नहीं है । लगान की वसूलयावी के लिये इस समय उसके वारन्ट घूम रहे हैं। बड़ी परेशानी किसान को हो रही है ।

उसको बीज लेना है, खाद डालनी है, बिजली का पैमेंट करना है और आजकल वह कहीं सूखे से और कहीं बाढ़ से प्रभावित है । उसके मिलों की तरफ बकाया पैसे का जो 15 परसेंट सूद है जो कि उसको नहीं मिल पा रहा है, अगर उसमें किसानों के कर्जे का एडजस्टमेंट हो जाये, तो इससे किसानों को बड़ी सुविधा होगी ।

किसान के गन्ने का मूल्य आप उस अनुपात से बढ़ा दें जिससे किसान को ज्यादा पैसा मिल सके । क्या सरकार गन्ने का मूल्य 25, 30 प्रतिशत बढ़ाने की कोई योजना बना रही है, या ऐसी नीति बना रही है जिससे किसान को कम्पन्सेट हो जाये ? क्योंकि गन्ना किसान को कोई फायदा नहीं हो रहा है, उसकी खेती हितकारी नहीं है, उसे केवल मजदूरी का पैसा मिलता है ।

इसके अलावा अपने जिले की जिन फैक्टरियों का मैंने अपने पहले भाषण में जिक्र किया था, अगर माननीय मंत्री जी ने उस तरफ ध्यान रखा होता तो कम से कम हमारे यहां की बदायूं फैक्टरी का पैसा बकाया न रहता । वहां का प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है । आपने इस संबंध में कई इंक्वायरी बैठाई हैं, उनकी रिपोर्ट भी दबाई जा रहीं हैं और वहां के प्रशासन के विरुद्ध आप कुछ भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं । जिन फैक्टरियों की तरफ एक करोड़ से भी अधिक रूपया बकाया है, आप सब के विरूद्ध जांच कराइये । जो सहकारी हैं, या जिनका सरकार से सीधा सम्बन्ध है, या सरकार प्रशासन उसके कर्मचारी या अधिकारी प्रशासन चला रहे हैं, वह फक्टरियां पैसा क्यों नहीं देती हैं, इसकी भी जांच के लिये आपको कुछ कदम उठाने चाहियें । क्या सरकार इस पर विचार कर रही है ?

इसके अलावा क्रिमिनल प्रासीक्यूशन करने के लिये सरकार जब तक कोई ठोस कदम हीं उठायेगी, केवल कागज पर ही कानून रहे, इससे बड़ा कानून का मजाक और कुछ नहीं हो सकता । न तो 15 प्रतिशत ब्याज की वसूली हो और न क्रिमिनल प्रासीक्यूशन हो, इससे जाहिर है कि केन्द्रीय सरकार अपने उत्तरदायित्व से बचना चाहती हैं । मंत्री जी को इस सम्बन्ध में धड़ल्ले से सामने आना चाहिये कि किसानों का मामला है, इस में सख्ती से निपटा जायेगा, उनको पैसा जल्दी से जल्दी दिलवाया जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि कोई पैसा दिलवाने की तारीख या समय निर्धारित करने के लिये वह तैयार हैं ? उसक इन्टरैस्ट कब तक मिल जाएगा । क्या इनके लिए आप तैयार हैं कि कोई तारीख निर्धारित कर ली जाए । कब तक यह मामला अधर में लटका रहेगा । वैसे सरकार कह तो रही है, रेडियो और टेलीविजन में बड़ा प्रचार किया जा रहा है । लेकिन मैं समझता हूं कि यह सरकार का कोरा आश्वासन है । आज गन्ने के लिए किसान से कितनी चुंगी ली जाती है । हमारे बदायूं में गेहूं की एक बोगी पर 4 रूपये चुंगी ली जाती है, लेकिन गन्ने की एक बोगी पर 12 रूपयें चुगी लेते हैं । क्या गेहूं और गन्ने की बैलगाड़ियों में बहुत बड़ा अन्तर होता है कि एक के लिए 4 रूपया चुंगी लेते हैं और दूसरे के लिए 12 रूपये लिए जायें । आपकी

गन्ने से सम्बन्धित जितनी संस्थाऐं हैं, उन सब की यह नीति है कि गन्ना किसान का कैसे शोषण किया जाए....

राव वीरेन्द्र सिंह : यह तो वहां की असैम्बली को देखना चाहिए।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : किसान का हित करना, केन्द्रीय सरकार का भी काम है और प्रान्तीय सरकार का भी काम है। ऐसा कह कर आप अपने उत्तर दायित्व से बच नहीं सकते।

इसके अलावा आप सुगर केन कन्ट्रोल आर्डर को कड़ाई से पालन करने के लिए राज्य सरकारों को क्यों नहीं कहते। वे इसके प्रति कठोर रूख क्यों नहीं अपनातीं। आप उनको भंग तो करेंगे नहीं, क्यों कि उसका तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, लेकिन उनके साथ सख्ती से बात तो की जा सकती है। आप उन सरकारों को अयोग्य सरकारें मानें जो कि किसानों के हित के विरूद्ध कार्य करें, जो उनके हितों का ध्यान नहीं रखतीं। इस तरह से आप किसानों का हित नहीं कर पायेंगे, जिस प्रकार से आपकी नीतियां चल रही हैं। इसलिए अन्त में ज्यादा न कहते हुए मैं मंत्री जी से खासकर एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि इस बार आप गन्ने का मूल्य कम से कम 25 फीसदी अवश्य बढ़ाइये ताकि किसान को कुछ राहत मिले, उसको सही मूल्य मिले।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : (बाड़मेर) : मंत्री जी ने वर्ष 1977–78 में देश के प्रोडक्शन और एरियर्स के साथ साथ 1981–82 वर्ष के उत्पादन और एरियर्स के जो आंकड़े यहां दिए हैं, उनको जिस प्रकार से तुलना की है, तथा यह बताने की कोशिश की है कि हमने बड़ी सफलता प्राप्त की और हम उससे संतुष्ट हैं, हम इस सम्बन्ध में उनसे यह जानना चाहेंगे कि जब हमारे यहां ऐसी मिलें मौजूद हैं, जिन पर एक करोड़ रूपया तक किसानों का बकाया है, इससे क्या स्पष्ट होता है। इन आंकड़ों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उनकी नीति साफ नहीं है आज जब किसानों का इतना पैसा सहकारी मिलों पर बकाया हो, सरकार जानबूझ कर उसको देना नहीं चाहती, उसके बारे में प्रदेशों की सरकारें कुछ पग न उठायें और केन्द्रीय सरकार भी उन प्रान्तीय सरकारों पर अदायगी के लिए प्रभाव न डाले, तो यह स्थिति किसी भी हालत में उचित नहीं कही जा सकती। मैं चाहता हूं कि हमारे केन्द्रीय मंत्री इस बात का जवाब दें कि जब राज्य सरकारें बकाया पर ब्याज नहीं देती हैं तो ऐसे प्रोविजनस ही क्यों बनाए गए हैं। यदि कोई प्रोवीजन बनता है, कानून बनता है तो राज्य सरकारें, उसका पालन क्यों नहीं करती हैं। किन कारणों से शुगर कैन कन्ट्रोल आर्डर्स, 1966 को सख्ती के साथ लागू नहीं किया जा रहा है। इन्टरेस्टस् के सम्बन्ध में उस आर्डर में जो प्रोविजन्स हैं, राज्य सरकारें उन प्रावधानों का पालन क्यों नहीं कर रही हैं। उस अवस्था में केन्द्र की क्या जिम्मेदारी बनती है। आपकी क्या शक्तियां हैं। क्या वे सीमित शक्तियां हैं। उन शक्तियों के द्वारा आप किसानों के हित में क्या करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बात करके समस्या का हल निकालें, वहां के अधिकारियों से बातचीत करना व्यर्थ है। आप स्वयं किसी दिन वहां के मख्यमंत्री से मिलने पहुंचे और बातचीत करके किसानों की काफी समय से चली आ रही समस्या का समाधान करें। आज जब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई

[श्री बृद्धि चन्द जैन]

है, तो ऐसे जबाब देने से काम नहीं चल सकता । किसानों के जितने भी एरियर्स हैं, उनको पैसा जल्दी मिलना चाहिए और इस काम में स्वयं पहल करनी चाहिए । आप ऐसा कार्यक्रम बनायें कि दो दिन यू० पी० के लिए निश्चित कर लें, एक दिन बिहार के लिए और ऐसे ही अन्य सभी राज्यों के लिए । ताकि इस मैटर को डिसाइड किया जा सके ।

इन्हीं सुझावों के साथ, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसानों के हित के लिए आपको कुछ कष्ट उठाना चाहिए, कुछ ठोस कदम उठाने होंगे और कानून का पालन सही ढंग से हो, इसकी व्यवस्था करनी होगी ।

राव बीरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय सूद के मामले में तो मैं सारी पोजीशन पाजेह कर चुका हूं। कायदा इस लिए बनाया जाता है कि चोर को उसका डर रहे और जो पकड़ में आ जाए, उसको सज़ा मिले । आपको यह बात भी माननी होगी की सारा काम सख्ती से नहीं बनता। इंडियन पैनल कोर्ट में भी भारत सरकार का है, लेकिन अगर आप कहें कि हर स्टेट में सारे चोर क्यों नहीं पकड़े जाते तो क्या भारत सरकार उसका जवाब दे सकती है । ला एंड आर्डर स्टेट का सबजैक्ट है और ला एंड आर्डर एजेन्सी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। मिलों का ठीक तरह से चलना केन-ग्रोअर, किसान, के हाथ में है। किसान के इन्ट्रेस्ट को अलग अलग नहीं किया जा सकता अगर मिल ठीक चलेगी, तो किसान को गन्ने की कीमत अच्छी मिलेगी । अगर कुछ दिनों के लिए मिल वन्द हो जाती है, तो किसान का बुरा हाल हो जाता है ।

सारा काम सख्ती में नहीं होता है। सारी सरकारें एक जैसी नहीं होती हैं । कुछ सरकारें और कुछ मिलें ऐसी भी हैं, जिसको प्यार से मनाया जा सकता है जैसे श्री हरीकेश बहादुर या श्री पासवान को जबकि सख्ती से तो वे उलटे बिगड़ेगें।

श्री डी०पी०यादव (मुंगेर) : हम लोगों में डिविज़न करा रहे हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : आप तो वैसे भी मान सकते हैं ।

पर्सवेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है सख्ती भी की जाती है और डर भी दिखाया जाता है । जहां-तहां पकड़ कर सज़ा भी दी जाती है, प्रासीक्यूशन भी किया जाता है । एक लाठी से सब को हांकने से काम नहीं बनता है । माननीय सदस्यों ने जितने सुझाव दिए हैं, मैंने उन्हें नोट किया है । जहां तक हो सकेगा, हम उनपर अमल कराके इम्परूवमेंट करने की कोशिश करेगें।

यू० पी० गवर्नमेंट ने कोआपरेटिव मिल्ज़ और जो मिलज उन्होंने अपने मैनेज्मेंट में ली हुई हैं, उनके एरियर्स को क्लीयर करने के लिए 20 करोड़ रुपए की रिक्वेस्ट की है । भारत सरकार उस पर विचार कर रहीं है ।

श्री कश्यप ने बदायूं मिल का सवाल उठाया है । हमने स्टेट गवर्नमेंट को फिर लिखा है कि उसकी एन्क्वारी के लिए वह कोई ऐसा सीनियर आफ़िसर मुकर्रर करे, जिसका मिल से कोई ताल्लुक नहीं है, जो निष्पक्ष हो, जो ठीक तरह से जांच करे, दूसरी एजेन्सी से भी मदद ले और जो इल्ज़ामात उस मिल के खिलाफ हैं, उनकी पूरी तरह जांच-पड़ताल करे । इस मामले में भारत सरकार ख़ामोश नहीं

है । आपको जो फ़िक्र है, वही हमें भी फ़िक्र है ।

केन प्राइस को बढ़ाने की बात भी कही गई है । अगर किसान को अच्छी प्राइस न मिली होती तो इस देश में चीनी की प्रोडक्शन तीन बरस में 38 लाख टन से बढ़कर 84 लाख टन न हो जाती। अगली फ़सल के लिए कीमत का फ़ैसला जल्दी होगा । सिर्फ़ गन्ने की कीमत बढ़ाने की बात नहीं है, मिलों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन्हें भी कुछ कनसेशन दिए जाते हैं, ताकि उनकी क्षमता किसान को अच्छा पैसा देने की बने ।

श्री बी०डी० सिंह (फूलपुर) : कास्ट आफ़ प्राडक्शन प्रति-वर्ष बढ़ रहा है

राव बीरेन्द्र सिंह : वह हम ध्यान में रखते हैं । जो स्टैचुटरी केन प्राइस हम किसान को दिलवाते हैं, उससे कोई ताल्लुक नहीं है । किसान को कीमत हम ज्यादा दिलाते हैं, और जो कीमत हम मुकर्रर करते हैं, मिलों से जो 65 परसेंट लेवी की शूगर लेते हैं, उसका हिसाब करने के लिए कि मिलों को लेवी शुगर की कितनी कीमत दी जाए । एक बैलेंस रखना पड़ता है कि किसान को भी काफ़ी पैसा मिले, मिल की प्राडक्शन भी ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा गन्ने की पिराई हो । मिल में नुकसान जायेगा तो वे पैसा नहीं दे पायेंगे और किसानों का गन्ना खड़ा रह जायेगा । इसलिए कभी तो हम अर्ली क्रशिंग के लिए कंसेशन देते हैं। और कभी लेट क्रशिंग के लिए कन्सेशन देते हैं । इसीलिए चीनी की पैदावार इतनी बढ़ सकी है। इस बार जून के महीने तक मिलें चली हैं जबकि अप्रैल के महीने में ही मिलें बन्द हो जाया करती थीं । यह इसलिए हमने किया ताकि ज्यादा से ज्यादा गन्ना पेरा जा सके । आपने गुगली मिल की बात कही है । उस पर सिर्फ 26 लाख 57 हजार रुपया बकाया है । उसके अलावा स्टाफ का कौन सा पैसा बाकी रह गया है, उसका ब्यौरा तो हमारे पास नहीं है। लेकिन केन एरियर्स 26 लाख के करीब है और यह कोई बड़ी रकम नहीं है । हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हम आगे कदम उठा रहे हैं उसमें यह एरियर्स भी साफ हो जायेंगे । जो 83 करोड़ एरियर की रकम है उसमें 10 करोड़ ऐसी भी है जोकि 14 दिन के अन्दर-अन्दर की बाकी है कायदे के हिसाब से तो 14 दिन के अन्दर का पैसा एरियर में शुमार नहीं होता है । इसलिए यह 10 करोड़ भी आप निकाल दें तो 73 करोड़ ही बकाया रह जाता है । इसको घटा कर यह 4 परसेंट से भी कम रह जायेगा ।

शुगर इम्पोर्ट की बात को तो आप भूल ही जाइये । पिछले जमाने में जब 38 लाख टन शुगर प्रोडक्शन रह गया था, तब प्राइज़ेज को नीचे रखने के लिए हमने कुछ शुगर इम्पोर्ट की थी । अब शुगर पालिसी आप अच्छी तरह से देख ही रहे हैं यह उपभोक्ताओं के हक में ज्यादा है । दीवाली, दशहरा और ईद के दिनों में पांच रुपये किलो से भी कम दाम पर बल्कि कहीं कहीं तो साढ़े 4 रुपये और पौने 5 रुपए किलो के भाव पर चीनी बिक रही है । (व्यवधान) दिल्ली में पौने 5 और 5 का भाव चल रहा है और कहीं कहीं साढ़े चार का भी भाव है । इस तरह से चीनी के दाम काफी नीचे आ गए हैं । इस वक्त तो हमें यह परेशानी हो गई है कि भाव ज्यादा न गिर जाएं जिससे कि अगली बार वही मामला हो जाए जोकि जनता पार्टी की सरकार के दिनों में हो गया था।

[राव वीरेन्द्र सिंह]

(व्यवधान) यह आपके अलफाज ठीक हैं कि भट्ठा ही बिठा दिया था । बस इतना मुझे अर्ज करना था ।

18.35 hrs.

DISCUSSION ON FLOOD AND DROUGHT SITUATION IN VARIOUS PARTS OF THE COUNTRY—*contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will start discussion under Rule 193. There are 5 hon. Members from the Opposition and two or three from the ruling party, who want to participate in the Discussion. I have no objection if the hon. Members take not more than 10 minutes. There is no discrimination between the opposition and the ruling party. The Minister will reply positively at 8' o'clock.

श्री राम विलास पासवान : (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम लोग अकाल के बारे में और वह अकाल जो बाढ़ और सुखाड़ से उत्पन्न हुआ है । इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं । यह इतना बड़ा सवाल है, इतना भयंकर अकाल आने वाला है, मंत्री महोदय भले ही यह कहते रहें कि हमारे भंडारों में इतना अनाज है, हमारे पास इतना समान है, इस मुकाबला वे नहीं कर सकेंगे । आज मैं इस सदन में आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि यह अकाल इतना भंयकर अकाल होगा जैसा कि 1943 में पश्चिम बंगाल में आया था जिससे 14 लाख लोग मरे थे, उससे भी ज्यादा जन-धन की क्षति होगी ... **(व्यवधान)** ... 50 लाख से भी ज्यादा लोग मरेंगे ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : नहीं मरने देंगे ।

श्री राम विलास पासवान : यथ सदस्य कह रहे हैं कि नहीं मरने देंगे । यह इतना बड़ा सवाल है, इस पर तो न सिर्फ सिचाई मंत्री और राव साहब, कृषि मंत्री, बल्कि प्लानिंग मिनिस्टर को भी यहां पर होना चाहिए ।

एक माननीय सदस्य : पावर मिनिस्टर भी ।

श्री राम विलास पासवान : मैं तो कह रहा हूं कि सब को उपस्थिति होना चाहिए । यह बहुत ही अहम सवाल है । आज की खबर को पढ़िए । हम दो दिन से लगातार पार्लियामेंट में इस मामले को उठा रहे हैं । पश्चिम बंगाल में तो स्थिति एकदम गम्भीर हो गई है । वहां संसद् सदस्य और विधान सभा सदस्य धरना देने के लिए जा रहे हैं । आज के ही अखबार में यह खबर है कि बिहार के नवादा जिले में एक मालगाड़ी में गेहूं जा रहा था, प्रश्न यह नहीं है कि उसकी लागत दस लाख थी या 40 लाख, थी, उसको लोगों ने लूट लिया । अनाज को निकाल कर ले गए और कह दिया कि चाहे हमको सजा दीजिए, हम निकाल कर खायेंगे ।

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : आप जानते हैं, उन लोगों को ।

श्री राम विलास पासवान : अखबार में है । ग्रामीण के द्वारा अनाज जब भी लूटा जाता है, ग्रामीण के द्वारा लूटा जाता है लेकिन रुपया डकैतों के द्वारा । इसका मतलब यह है कि निश्चित रूप से उनके सामने भोजन की समस्या है । आज के ही हिन्दुस्तान टाइम्स और स्टेट्समेन में आया है कि स्टारविंग संथाल टेक अप आर्म्स फोर जसटिस । इसमें फोटो दिया है संथाल में ब्लाक में मीटिंग हो रही थी । मुखिया लोग मौजूद थे । गांव के गरीब लोगों ने कहा है कि हम लोग भूख से मर रहे हैं हमारे अनाज की व्यवस्था करो । चार अक्टूबर